सिंचाई के क्षेत्र में मप्र के नए प्रयोग को अपनाएगी गुजरात सरकार : बावलिया

मंत्री तुलसी सिलावट से गुजरात के जल संसाधन मंत्री ने की मुलाकात

भोपाल (काप्र)।

गुजरात के जल संसाधन मंत्री मोहन भाई बावलिया ने आज प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से उनके निवास पहुंचकर मुलाकात की। मंत्रीद्वय ने दोनों राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं और आपसी सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। श्री बावलिया ने कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहां की मोहनपुरा कुंडलिया और केन बेतवा लिंक परियोजनाओं का न केवल भारत में अपितु विश्व की सिंचाई परियोजना में महत्वपूर्ण स्थान हैं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश की मोहनपुरा कुंडलिया प्रेशराइज्ड पाइप सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और अन्य परियोजनाएं देखने आया हूं। सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में किए जा रहे नित नए प्रयोगों को गुजरात सरकार भी अपनाएगी।

श्री सिलावट ने बताया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी शीघ्र ही केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने के लिए मध्यप्रदेश आने वाले हैं। यह परियोजना प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी। मोहनपुरा कुंडलिया प्रेशराइज्ड पाइप सूक्ष्म सिंचाई परियोजना विश्व की अनूठी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के लिए मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है।

मध्यप्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2025 तक इसे 65 लाख हेक्टेयर और वर्ष 28 – 29 तक इसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है। श्री सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान और अन्य जल संरक्षण और संवर्धन संबंधी कार्यों की जानकारी दी और इस संबध में एक पुस्तिका भी भेंट की। श्री बावलिया ने श्री सिलावट को गुजरात की साबरमती रिवरफ्रंट व अन्य योजनाएं देखने का आमंत्रण भी दिया और गांधी आश्रम की प्रतिकृति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख अभियंता शिरीष मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री टेटवाल के साथ गुजरात के मंत्री बावलिया ने...

मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना का अवलोकन कर किसानों से किया संवाद

भोपाल (काप्र)।

कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल के साथ गुजरात सरकार के जल संसाधन मंत्री मोहन भाई बावलिया ने आज राजगढ़ जिले के मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना का अवलोकन किया। मंत्रीद्वय ने मोहनपुरा डैम के समीप स्थित कृषिधाम का भी अवलोकन किया तथा स्थानीय किसानों एवं अधिकारियों से चर्चा कर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर सांसद रोडमल नागर एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने घायल बाघ शावकों की जीवन रक्षा के प्रयास की सराहना की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाघिन के घायल शावकों की जीवन रक्षा के लिए सीहोर जिला प्रशासन और भोपाल रेल मंडल द्वारा तत्परतापूर्वक की गई कार्यवाही की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमवार की सुबह सीहोर जिले में बुधनी के पास मिडघाट में बाघिन के तीन शावक रेल्वे ट्रैक दुर्घटना के शिकार हो गये थे। दुर्घटना में एक शावक की मृत्यु हो गई लेकिन शेष दो घायल शावकों का रेस्क्यू किया जाकर उपचार के लिये भोपाल के वन्य प्राणी चिकित्सालय लाने के लिए एक डिब्बे की विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई।

राजस्व महा अभियान आज से, 31 अगस्त तक चलेगा

गंभीरता के साथ हो राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण : डॉ. यादव

भोपाल (काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिये 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महा अभियान - 2.0 संचालित किया जा रहा है।

किसानों और आमजन की सहुलियत के लिये पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रह कर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अभियान्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का गंभीरता के साथ समय-सीमा में निराकरण किया जाये। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि अभियान में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जायेगा। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा 90 दिन है और सीमांकन प्रकरणों को 45 दिन में निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही नक्शे में तरमीम का कार्य सतत् जारी रहेगा। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा है कि राजस्व महा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरूस्ती और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नामांतरण के 75 हजार 964, बंटवारा के 9 हजार 897, अभिलेख दुरूस्ती के 9 हजार 889 और सीमांकन के 25 हजार 423 प्रकरण शामिल हैं?। इसके साथ ही 30 जून 2024 की स्थिति में एक करोड़ 95 लाख 45 हजार नक्शे पर तरमीम के लंबित मामलों को भी दर्ज किया जाएगा।

राजस्व महा अभियान में एक अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसलों का डिजिटल (क्रॉप) सर्वेक्षण किया जायेगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो खीचकर जानकारी अद्यतन करने के लिये युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जायेगा। राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में निःशुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। राजस्व महा अभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनीटरिंग करेंगे।

वन मण्डल बुरहानपुर में मिले तेंदुए की बीमारी से मृत्यु की आशंका

भोपाल (काप्र)।

वन मंडल बुरहानपुर के अंतर्गत आज वन परिक्षेत्र नावरा के राजस्व ग्राम नया खेरा की पहाड़ी पर मृत मादा तेंदुआ मिला। जानकारी मिलने पर मौके पर उप वन मंडल अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी और उनके साथ पशु चिकित्सकों का 3 सदस्यीय दल भी घटना स्थल पर पहुँचा। चिकित्सकों के दल द्वारा प्राथमिक परीक्षण किया गया। परीक्षण में पाया गया कि मृत मादा तेंदुआ के समस्त अंग सुरक्षित है। उप वन मंडल अधिकारी नेपानगर की उपस्थिति में पशु चिकित्सकों द्वारा तेंदुए का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में तेंदुए की मृत्यु बीमारी से होने की संभावनाएं बताई गयी है। जांच के लिए सैम्पल एकत्रित कर लिये गये है। पोस्टमार्टम के उपरांत उसका भस्मीकरण किया गया। जिस क्षेत्र में तेंदुआ मिला उसकी भी जांच की जा रही है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भू-स्वामियों के हित में अब त्वरित और आसान सेवाएं

राजस्व महा-अभियान 2.0

18 जुलाई से 31 अगस्त - 2024

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण लक्षित

भू-अभिलेखों का शुद्धीकरण

- राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकरण जो अभी न्यायालय में ऑफलाइन प्रचलित हैं, अथवा किसी कारण से नम्बर से उतर गए हैं वे रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पर दर्ज होंगे।
- नामांतरण, बंटवारे के पारित आदेशों को 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।
- 30 जून, 2024 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लम्बित प्रकरणों को चिह्नित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण।
- लंबित नामांतरण प्रकरणों (विवादित/अविवादित) का निराकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को भी दर्ज कर निराकरण।
- लंबित बंटवारा प्रकरणों का निराकरण एवं 06 माह की अवधि के लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धीकरण के प्रकरणों का निराकरण।
- खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में बटांकन नहीं होने के प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार।
- खसरा नंबर का एक से अधिक बार होने के प्रकरणों का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा निराकरण।

लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

- नक्शे में बटांकन होना एवं खसरे में नहीं होना ऐसे मामलों का भूलेख पोर्टल पर बहुल नक्शा बटांकन (Village Map Correction) मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा निराकरण।
- समग्र वेब पोर्टल, MPONLINE/CSC कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की e-KYC कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
- पीएम किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोड़ा जायेगा एवं अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएमकिसान पोर्टल पर अद्यतन की जायेगी।
- स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर अधिकार अभिलेख का वितरण समारोहपूर्वक सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी तैयार की जायेगी।
- खरीफ-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जायेगा।
- पटवारी डायरी का मैनुअल के स्थान पर डिजिटल संधारण किया जायेगा, जिसमें वास्तविक लोकेशन पर उपस्थिति दर्ज होने से कार्य पारदर्शिता से होंगे।

डिजिटल क्रॉप सर्वे

राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन

#RajaswaMahaAbhiyan2_MP

D-11034/24